

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ
02/08/18	<p style="text-align: center;"><u>न्यायालय अपर समाहर्ता, पटना</u></p> <p style="text-align: center;">रैयती अपील वाद सं०-16/2017-18</p> <p style="text-align: center;">(रघुबीर सिंह विद्यार्थी उर्फ रघुबीर सिंह वगैरह बनाम राज्य)</p> <p style="text-align: center;"><u>आदेश</u></p> <p>यह अपील आवेदकगण के द्वारा बकारस्त रैयती भूमि अभिलेख सं०-18/2015-16 में भूमि सुधार उप समाहर्ता, दानापुर के द्वारा दिनांक-03.02.2016 को पारित आदेश के विरुद्ध दायर की गयी है।</p> <p>आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा निम्न न्यायालय के अभिलेख एवं उपलब्ध कागजातों का परिशीलन किया।</p> <p>भूमि सुधार उप समाहर्ता, दानापुर के द्वारा वाद सं०-18/2015-16 में दिनांक-03.02.2016 को पारित आदेश में कहा गया है कि आवेदकों के द्वारा प्रश्नगत भूखण्ड भूतपूर्व मध्यवर्ती या उनके उत्तराधिकारियों के द्वारा हस्तांतरित किये जाने का कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया। मात्र स्वघोषित वंशावली, निबंधित दस्तावेज, खतियान एवं लगान रसीद के आधार पर दावा किया जा रहा है। भूमि सुधार उप समाहर्ता, दानापुर के द्वारा आवेदकों के द्वारा दाखिल साक्ष्यों को पर्याप्त नहीं मानते हुए उनका दावा निरस्त कर दिया गया।</p> <p>सम्यक विचारोपरान्त मैं यह समझता हूँ कि आवेदकगण के द्वारा खतियानी रैयत की वंशावली का शपथ पत्र दाखिल किया गया है। साथ ही खतियानी रैयत के वंशज से वर्ष-1960 में प्राप्त बख्शीशनामा एवं लगान रसीदों की छायाप्रति दाखिल की गयी है। भूमि सुधार उप समाहर्ता, दानापुर के द्वारा समर्पित वंशावली की स्थानीय जाँच कर आवेदकगण के दावा के संबंध में निर्णय लिया जाना उचित होगा।</p> <p>अतः वाद को भूमि सुधार उप समाहर्ता, दानापुर को प्रतिप्रेषित करते हुए आदेश दिया जाता है कि भूमि सुधार उप समाहर्ता, दानापुर वंशावली एवं बख्शीशनामा की जाँच कर पुनः आदेश पारित करें।</p> <p>निम्न न्यायालय का अभिलेख वापस करें। आदेश की प्रति भूमि सुधार उप समाहर्ता, दानापुर को दें।</p> <p style="text-align: center;">लेखापित एवं संशोधित 3/8/18 (वजैन उद्दीन अन्सारी) अपर समाहर्ता, पटना।</p> <p style="text-align: right;">(वजैन उद्दीन अन्सारी) अपर समाहर्ता, पटना।</p>	